टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
सीएसआर और सततता नीति- 2015

सीएसआर और सततता नीति- 2015

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृ.सं.
1.0	प्रस्तावना	
2.0	सीएसआर और सततता अभिदृष्टि एवं लक्ष्य	
3.0	संस्थागत तंत्र	
3.1	बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति	
3.2	बोर्ड स्तर से नीचे की समिति	
4.0	योजना	
4.1	संसाधन	
4.2	कार्यान्वयन और मानीटरिंग	
4.3	सततता की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण	
5.0	कार्यान्वयन	
6.0	निगरानी	
7.0	रिपोर्टिंग	
8.0	प्रभाव आंकलन	
9.0	सामान्य प्रावधान	
	अनुलग्नक I – कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अंतर्गत संचालित की जाने वाली गतिविधियां	
	अनुलग्नक II- बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	

1.0 प्रस्तावना

1.1 वर्ष 2008 में टीएचडीसीआईएल ने कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की स्कीम-सामुदायिक विकास (सीएमआर-सीडी) नामक कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी संबंधी नीति तैयार की थी जो वित्त वर्ष 2008-09 से स्वीकार की गई थी। अप्रैल, 2010 में डीपीई द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाने के परिणामस्वरुप टीएचडीसी सीएसआर-सीडी स्कीम, 2010 शुरु की गई थी। इसके अतिरिक्त सतत विकास के संबंध में वर्ष 2012 में अलग से नीति तैयार की गई थी जो सितम्बर, 2011 में जारी किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित थी । पूर्वोक्त डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास दो अलग-अलग विषय समझे जाते थे और इसलिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के प्रयोजन से इन पर अलग-अलग कार्रवाई की जाती थी। कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास में घनिष्ठ संबंध होने के कारण डीपीई ने अब कारपोरेट सामाजिक दायित्व और सीपीएसई की सततता के बारे में 01 अप्रैल, 2013 से प्रभावी संयुक्त दिशानिर्देश तैयार किए है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के प्रयोजन से सीपीएसई के निष्पादन के संबंध में निर्णय संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर लिया जाएगा। उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसरण में बोर्ड के अनुमोदन से टीएचडीसीआईएल सीएसआर एवं सततता नीति-2013 जारी की गई थी।

1.2 कंपनी अधिनियम, 2013 अगस्त, 2013 में अधिनियमित हुआ और कंपनी अधिनियम के भाग-135 में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उल्लेख है जो सीपीएसई सहित सभी कंपनियों पर लागू है। वे कंपनियां जो सकल आय, टर्नओवर या सकल लाभ की ब्रिकी की सीमाओं के आधार पर पात्रता मापदंड के अंतर्गत आती हैं जैसा कि कंपनी अधिनियम के भाग 135(1) में दिया गया है, उन्हें सीएसआर गतिविधियां संचालित करने की आवश्यकता होगी। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी नियम (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) 2014, 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगा। डीपीई ने 01 अप्रैल,2014 से सीपीएसई के लिए सीएसआर एवं सततता पर 21 अक्टूबर,2014 के ओएम के माध्यम से पुनरीक्षित दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।

1.3 कंपनी अधिनियम एवं सीएसआर नियमों की अपेक्षानुसार सभी कंपनियां सकल आय, टर्नओवर या सकल लाभ की ब्रिकी की सीमाओं के आधार पर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में यथानिर्दिष्ट संचालित की जाने वाली गतिविधियों के लिए बोर्ड के अनुमोदन से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का निर्माण करेंगी। डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार भी सभी सीपीएसई को निदेशक मंडल के अनुमोदन से कंपनी की सीएसआर एवं सततता नीति अंगीकरा करनी होगी। इस नीति के जारी होने के साथ ही टीएचडीसी सीएसआर एवं सततता नीति-2013 बोर्ड के अनुमोदन से जारी रखी गई है।

2.0 सीएसआर एवं सततता अभिदृष्टि एवं मिशन

2.1 सीएसआर अभिदृष्टि

सामाजिक रूप से उत्तदायी कारपोरेट, समाज एवं समुदाय में मूल्य निर्माण को निरंतर बढ़ाना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना।

2.2 मिशन

- परस्पर संचार के माध्यम से प्रमुख हितधारकों के साथ संबंध आधारित सतत मूल्य स्थापित करना।
- मानवीय दृष्टिकोण के साथ सीएसआर कार्यक्रम[1] संचालित करना।
- हितधारकों के साथ सीएसआर एवं सततता पहलों को पारदर्शिता के साथ सहभागिता करना।
- आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय सतत तरीके से अपना व्यवसाय चलाने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर प्रतिबद्धता बढाया जाना सुनिश्चित करना।
- इसके कार्य के केंद्रों में तथा उनके आस-पास समुदायों के लाभ हेतु प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सीएसआर कार्यक्रम संचालित करना तथा जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय जनता की जीवन की गुणवत्ता एवं आर्थिक भलाई में वृद्धि हो सके।
- समाज के वंचित, दबे कुचले, तिरस्कृत एवं कमजोर तबकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समेकित विकास को प्रोत्साहित करना।
- हितधारकों के मध्य सीएसआर पहलों के माध्यम से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की अच्छाई एवं गौरव उत्पन्न करना और कारपोरेट इकाई के रूप में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की सकारात्मक एवं सामाजिक जिम्मेदारी की छवि को सुदृढ करने में सहायता करना।

3.0 संगठनात्मक तंत्र

3.1 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

3.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उपधारा (1) के क्रम में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की बोर्ड स्तर पर गठित की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर समिति) होगी। सीएसआर समिति समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक का चयन करेगी। कंपनी सचिव सीएसआर समिति के सचिव होंगे।

....

[1] नीति में प्रयोग किए गए "सीएसआर कार्यक्रम" में सीएसआर परियोजनाएं एवं सीएसआर गतिविधियां शामिल हैं।

3.1.2 सीएसआर समिति कंपनी की सीएसआर एवं सततता नीति जिसमें कपनी अधिनियम की अनुसूची vii से संबंधित टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियां एवं उन पर व्यय होने वाली राशि इंगित हों, का निर्माण करेगी और बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ संस्तुति करेगी।

3.1.3 सीएसआर समिति सीएसआर एवं सततता नीति की समय-समय पर निगरानी करेगी और कंपनी की सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम का मार्गदर्शन करेगी।

3.1.4 सीएसआर समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एवं वर्ष में 04 बार होगी।

3.2 बोर्ड स्तर से नीचे की समिति

3.2.1 महाप्रबंधक स्तर का अधिकारी सीएसआर एवं सततता प्रकार्य का प्रमुख एवं नामोनिर्दिष्ट नोडल अधिकारी होगा जो बोर्ड स्तर के नीचे की समिति (बीबीएलसी) की अध्यक्षता करेगा । बीबीएलसी के अन्य सदस्य सीएसआर समिति के द्वारा निर्णित विभिन्न विभागों/यूनिटों अर्थात सामा. एवं पर्या., वित्त, सेवा/टीईएस से लिए जाएंगे। संगठन के बाहर से सीएसआर एवं सततता विकास के क्षेत्र के स्वतंत्र विशेषज्ञ भी बीबीएलसी में नामोनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

3.2.2 बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति में नोडल अधिकारी स्थाई विशेष आमंत्रिती होंगे।

3.2.3 नोडल अधिकारी के पास समन्वय कार्य में उनकी सहायता करने के लिए अधिकारियों की एक टीम होगी । नोडल अधिकारी की सहायता करने के लिए टीम की संरचना सीएसआर के निदेशक प्रभारी के द्वारा अ.प्र.नि. से परामर्श कर की जाएगी।

3.2.4 बीबीएलसी पूरे सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होगी तथा इसके प्रकार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित होगा:

- सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव तैयार करना, स्थान, प्रत्येक कार्यक्रम का प्राक्कलन एवं वार्षिक बजट तैयार करना एवं इसे सीएसआर समिति एवं बोर्ड के अनुमोदन के लिए विचारार्थ प्रस्तुत करना।
- सीएसआर सततता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन एवं निगरानी ।
- बेसलाइन / आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण एवं पूर्ण हो गए कार्यक्रमों का प्रभाव मूल्यांकन ।
- सीएसआर समिति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

4.2 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन

4.2.1 सीएसआर कार्यक्रमों का चयन **अनुलग्नक-1** के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में यथा निर्दिष्ट गतिविधियों से संबंधित होना चाहिए। अनुसूची VII में प्रविष्टियां उदारतापूर्वक परिभाषित होनी चाहिए ताकि विषयों के सार को समझा जा सके।

....

[2] सीएसआर नियम 2(एफ) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 198 के अनुसार सकल लाभ की गणना की जानी है।

4.2.2 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों के निष्पादन के मूल भाव को दृष्टिगत रखते हुए टीएचडीसीआईएल की सीएसआर गतिविधियों का शीर्षक "टीएचडीसी सहृदया" (मानवीय हृदय के साथ कारपोरेट) होगा। टीएचडीसीआईएल सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए फोकस किए गए क्षेत्रों का शीर्षक उनके उद्देश्य के द्वारा निम्नानुसार दिया जाता है:

क) टीएचडीसी निरामय (स्वास्थ्य) – पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पेय जल परियोजनाएं

ख) टीएचडीसी जागृति (सफल भविष्य के लिए पहल) – शिक्षा पहल

ग) टीएचडीसी दक्ष (कौशलता) – आजीविका उत्पादन एवं कौशलता विकास पहल

घ) टीएचडीसी उत्थान (प्रगति) – ग्रामीण विकास

ड.) टीएचडीसी समर्थ (सशक्तिकरण) – सशक्तिकरण पहल

च) टीएचडीसी सक्षम (सक्षम) – वृद्ध एवं विकलांगों की सुरक्षा

छ) टीएचडीसी प्रकृति (पर्यावरण) – पर्यावरण सुरक्षा पहल

उपरोक्त फोकस क्षेत्र में से प्रत्येक के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों की प्रकृति "टीएचडीसीआईएल की सीएसआर हैंडबुक" में दर्शाई गई है।

4.2.3 जितना अधिक संभव हो, सीएसआर कार्यक्रम परियोजना तरीके से संचालित किए जाएंगे जिसके लिए निष्पादन के चरणों की योजना बनाना, लक्ष्य नियत करना, आबंटित बजट के भीतर आवश्यक संसाधन और अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित समयावधि होती है । आसान कार्यान्वियन के लिए, दीर्घावधि सीएसआर योजनाओं को मध्यावधि एवं लघुवधि योजनाओं में रूपातरित किया जाएगा।

4.2.4 यदि आवश्यक हो, टीएचडीसीआईएल सीएसआर कार्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य कंपनियों/सीपीएसयूएस के साथ संयोजन करेगी और अधिक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव के लिए संसाधनों एवं क्षमताओं को एक दूसरे के साथ बांटेगी। अन्य कंपनियों के साथ संयोजन इस प्रकार किया जाएगा कि टीएचडीसीआईएल सीएसआर नियमों के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों को अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हो।

4.2.5 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम कंपनी की व्यापारिक नीतियों एवं रणनीतियों के साथ संरेखित होंगे और ऐसे सीएसआर कार्यक्रमों का चयन किया जाएगा जो इनहाउस विशेषज्ञता के माध्यम से बेहतर रूप से कार्यान्वित किए जा सकें/निगरानी की जा सके। जिससे सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में प्रमुख सक्षममताओं एवं संसाधन क्षमता का दोहन हो सके।

4.2.6 बोर्ड के द्वारा अनुमोदित "टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति" में कंपनी के द्वारा संचालित की जाने वाली / संचालित की गई सीएसआर एवं सततता पहलों के संबंध में विचारों एवं सुझावों के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ निरंतर संचार करना परिकल्पित है। हालांकि, सीएसआर गतिविधियों के चयन एवं कार्यान्वियन में अंतिम निर्णय बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति का होगा।

4.2.7 संगठन में सततता पहलों के भाग के रूप में, टीएचडीसीआईएल न केवल सामान्य प्रमुख गतिविधियों में पर्यावरण सततता को महत्ता देगी यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके प्रचालन एवं प्रकियाएं ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों को प्रोत्साहित करते हैं, रद्दी सामग्री की न्यूनता / पुनर्पयोग / पुनर्चक्रण करते हैं, भूमि जल की पुन: आपूर्ति करते हैं, पारिस्थितिकी की सुरक्षा / संरक्षण / पुनर्स्थापन करते हैं, कार्बन

उत्सर्जन को कम करते हैं और आपूर्ति चैन को हरा भरा करने में मदद करते हैं। हालांकि, ऐसी सततता पहलों के प्रति किया गया व्यय उसके भाग का निर्माण नहीं करेगा जो अधिनियम एवं सीएसआर नियमों में निर्धारित लाभ के 2 प्रतिशत है।

4.3 स्थानों एवं लाभार्थियों का चयन

4.3.1 सीएसआर एवं सततता गतिविधियों के स्थानों का चयन करने में स्थानीय क्षेत्र को वरीयता दी जाएगी। इस उद्देश्य से स्थानीय क्षेत्र की परिभाषा निम्नानुसार होगी-

1. कंपनी के संयंत्र / परियोजना / व्यापारिक गतिविधियों की परिधि एवं 2. बृहद भौगोलिक क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों से प्रभावित है। ऐसे हितधारकों के लिए लाभ के लिए भी सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम संचालित करने में प्राथमिकता दी जाएगी जो कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों एवं गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित हैं।

4.3.2 वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 65 प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र एवं कंपनी के व्यापारिक प्रचालनों एवं गतिविधियों से सीधे तौर पर प्रभावित हितधारकों के लिए संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों के लिए आबंटित किया जाएगा।

4.3.3 स्थानीय क्षेत्र को वरीयता देने के बाद, टीएचडीसीआईएल देश में किसी भी जगह सीएसआर कार्यक्रम संचालित करेगी।

4.3.4 किसी भी सीएसआर कार्यक्रम के चयन के के लिए बेसलाइन/आवश्यकता आंकलन सर्वेक्षण वांछनीय होगा। सभी मामलों में बेसलाइन सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं होगी, यदि स्वयं के संसाधनों से या किसी विशेषज्ञ एजेंसी से आवश्यकता आंकलन कराने के पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण हों या मान्यता प्राप्त प्राधिकार द्वितीयक श्रोत से इस संबंध में विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हों।

5.0 कार्यान्वयन

5.1 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम मुख्यत: दो कंपनी प्रायोजित / स्थापित पंजीकृत समितियों, सेवा-टीएचडीसी और टीएचडीसी शिक्षा समिति (टीईएस) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे। सीएसआर कार्यक्रम टीएचडीसी की परियोजनाओं / यूनिटों के द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं।

5.2 टीएचडीसीआईएल सीधे कंपनी की परियोजनाओं/यूनिटों एवं उनकी मानव शक्ति एवं संसाधनों के माध्यम से सीधे सीएसआर गतिविधि का कार्यान्वयन कर सकती है यदि वह महसूस करती है कि वह ऐसे कार्यक्रमों को निष्पादित करने की संगठनात्मक क्षमता रखती है।

5.3 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम कंपनी अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत ट्रस्ट, समिति या कंपनी के माध्यम से भी चलाए जा सकते हैं यदि ऐसी इकाई सीएसआर गतिविधियों को संचालित करने के लिए विशेषतया बनाई गई है या जहां कंपनी अधिनियम की अनुसूची सात के अंतर्गत आच्छादित विषय के संबंध में सीधे इस उद्देश्य से किसी संकाय का गठन किया गया है। ऐसे ट्रस्ट, समिति या कंपनी का तीन वर्षों का ऐसी गतिविधियां संचालित करने का ट्रेक रिकार्ड होना चाहिए और टीएचडीसीआईएल इन

इकाईयों के माध्यम से संचालित किए जाने वाले कार्यक्रमों, ऐसे कार्यक्रमों पर निधियों के उपयोग की विषमताओं तथा रिपोर्टिंग तंत्र की जांच करेगी।

5.4 जब भी वाह्य ऐजेंसियों के साथ संलग्नता एवं भागीदारी हो तो उनकी साख का ध्यान रखा जाएगा ताकि केवल विश्वसनीय, विशेषज्ञ ऐजेंसियां जो कि सीएसआर कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में विशेषज्ञता एवं आवश्यक क्षमताएं रखती हों, उन्हीं का चयन किया जाए।

5.5 वाह्य विशेषज्ञ ऐजेंसियों को संलग्न करना टीएचडीसीआईएल के विवेक पर है लेकिन सरकारी मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी संस्थानों या राष्ट्रीय / स्थानीय सीएसआर हब के द्वारा बनाई गई ऐसी एजेंसियों के उपलब्ध पैनल में जुटी को वरीयता दी जाएगी।

5.6 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के लिए विशेष ज्ञान एवं कौशल की आवश्यकता होती है जिसके लिए वाह्य एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं।

6.0 निगरानी

6.1 सीएसआर एवं सततता कार्यक्रमों की निगरानी योजना बनाम प्रगति पर पहुंचने के कार्यान्वियन के अनुरूप होगी।

6.2 संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों का पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा एक सुदृढ निगरानी तंत्र बनाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित संकेतांकों का प्रयोग कर विभिन्न स्तरों पर आवधिक निगरानी की जाएगी-

i) मासिक प्रगति रिपोर्ट
ii) तिमाही प्रगति रिपोर्ट
iii) वीडियो कांफ्रेसिंग
iv) परियोजना स्थल दौरे
v) फोटोग्राफ, फिल्म एवं वीडियो सहित दस्तावेजी सबूत
vi) अन्य इनहाउस निगरानी तंत्र जो कि सीएसआर समिति द्वारा निर्धारित किए जाएं।
vii) हित के टकराव को दूर करने के लिए पूरी सुरक्षा के साथ निगरानी हेतु तृतीय पक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है।

7.0 रिपोर्टिंग

7.1 मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक प्रभारी, सीएसआर एवं सततता को प्रस्तुत की जाएगी।

7.2 सीएसआर एवं सततता पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति के द्वारा विचार करने के बाद बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

7.3 वार्षिक रिपोर्ट में बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर की वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक 2 में निर्दिष्ट विवरणों के साथ सम्मिलित होगी और इसे टीएचडीसीआईएल की वेबसाइट पर भी डिस्पले किया जाएगा।

7.4 सततता पहलों पर डीपीई दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए की गई कार्रवाई पर संक्षिप्त परिचय सीएसआर पर बोर्ड की रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

7.5 वार्षिक सततता रिपोर्ट टीएचडीसीआईएल की सीएसआर संचार रणनीति के अनुसार प्रकाशित की जाएगी ओर कंपनी की वेबसाइट पर भी डिस्पले की जाएगी।

8.0 प्रभाव आंकलन

5.00 लाख रूपए से उपर के सभी पूर्ण हुए सीएसआर एवं सततता कार्यक्रम का प्रभाव आंकलन विशेषज्ञ वाह्य एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा और सफल / फेल हुए विवरण सहित बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति को प्रस्तुत किया जाएगा।

9.0 सामान्य प्रावधान

9.1 टीएचडीसीआईएल सीएसआर हैंडबुक में दिए गए विवरण के अनुसार (समय-समय पर अधिसूचित) सभी सीएसआर गतिविधियां एवं कार्यक्रम निष्पादित करेगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों, सीएसआर नियम और इसके बाद के स्पष्टीकरणों एवं संशोधनों जैसा कि कारपोरेट मामलों के मंत्रालय / लोक उपक्रम विभाग द्वारा अधिसूचित के अनुसार संरेखित/आधारित है ।

9.2 सीएसआर समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष की अवधि के दौरान यदि आवश्यक हो, तो वार्षिक सीएसआर योजना में पहले से ही समाविष्ट सीएसआर गतिविधियों के अतिरिक्त नए सीएसआर कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं।

9.3 सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों में से आने वाला अधिशेष कंपनी के व्यापार के लाभ के भाग का निर्माण नहीं करेगा।

9.4 मैराथन / अवार्ड / चैरीटेबिल अंशदान / विज्ञापन / टीवी कार्यक्रम में प्रायोजक आदि सीएसआर व्यय के भाग के रूप में अर्ह नहीं होगा।

9.5 अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत किसी भी राजनीतिक पार्टी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की राशि में अंशदान पर सीएसआर गतिविधि के समान विचार नहीं किया जाएगा।

9.6 सीएसआर परियोजनाएं या कार्यक्रम या गतिविधियां जो केवल टीएचडीसीआईएल के कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभ के लिए हों उन पर सीएसआर गतिविधियों के समान विचार नहीं किया जाएगा।

9.7 केवल भारत में संचालित किए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों पर ही आवश्यक 02 प्रतिशत व्यय के उद्देश्य से विचार किया जाएगा।

9.8 टीएचडीसीआईएल की प्रत्येक सीएसआर परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वित करने वाले एजेंसी टीएचडीसीआईएल की आचार नीति एवं सचेतक नीति के प्रावधानों से बंधी होगी।

****

अनुलग्नक -1
(पैरा 4.2.1 देखें)

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची सात के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत संचालित की जा सकने वाले गतिविधियां

I. भूख, गरीबी एवं कुपोषण उन्मूलन, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित स्वच्छता तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।

II. विशेषतया बच्चों, महिलाओं, प्रोढ तथा विशेष योग्य व्यक्तियों के मध्य विशेष शिक्षा एवं रोजगार परक व्यवसायिक कुशलता सहित शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं आजिविका वृद्धि परियोजनाएं।

III. लिंग समानता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं एवं अनाथों के लिए घर एवं अस्पताल बनाना, वृद्धाश्रम एवं दिन के लिए सुरक्षा केंद्र बनाना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछडे समूहों के द्वारा सामना की जा रही असमानता को कम करने के उपाय एवं सीनियर सिटीजन के लिए अन्य ऐसी सुविधाएं।

IV. पर्यावरणीय सततता, पारिस्थितिकी संतुलन, जीवों एवं पादपों का संरक्षण, पशु कल्याण, कृषि वनिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मृदा, गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा निधि में अंशदान सहित पवन एवं जल की गुणवत्ता बनाना।

V. एतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थानों के पुनर्स्थापन सहित प्राकृतिक विरासत, कला एवं संस्कृति की सुरक्षा । जन-पुस्तकालय स्थापित करना, परंपरागत कला एवं हेंडीक्राफ्ट को प्रोत्साहित करना एवं विकास करना।

VI. आर्मड फोर्स बुजुर्गों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय करना।

VII. ग्रामीण स्पोर्टस, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्पोर्टस, पैरालम्पिक स्पोर्टस एवं ओलम्पिक स्पोर्टस को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण

VIII. सामाजिक आर्थिक विकास एवं सहायता तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष एवं अन्य कोष में अंशदान ।

IX. केंद्र सरकार से अनुमोदित शैक्षिक संस्थानों के भीतर प्रोद्योगिकी इन्क्यूबेटर्स के लिए अंशदान या निधि उपलब्ध कराना।

X. ग्रामीण विकास परियोजनाएं ।

XI. सलम क्षेत्र का विकास ।

* सलम क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे किसी क्षेत्र से है जो कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया है।

(अनुसूची सात में उपरोक्त प्रविष्टियां 24.10.2014 तक अधिसूचित संसोधन के रूप में समाविष्ट करते हुए अद्यतन कर दी गई हैं)

अनुलग्नक -2

(पैरा 4.2.1 देखें)

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी के साथ
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. संचालित की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों सहित कंपनी की सीएसआर नीति का संक्षिप्त विवरण और सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के लिए वेबलिंक का संदर्भ

2. सीएसआर समिति की संरचना :

3. पिछले 03 वर्षों का कंपनी का औसत सकल लाभ :

4. विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (अर्थात उपरोक्त मद 3 का 2 प्रतिशत) :

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय के विवरण :
   क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि
   ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई है
   ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय राशि के तरीके जैसा नीचे दिए गए हैं-

1	2	3	4	5	6	7	8
क्रम सं.	पहचान की गई सीएसआर परियोजनाएं या गतिविधियां	वह क्षेत्र जिसमें परियोजना पड़ती है	परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. राज्य एवं जिला जहां परियोजना या कार्यक्रम चलाया गया	परिणामी राशि (बजट) परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय राशि उप शीर्ष : 1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय 2) ओवरहेड	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि : सीधे या कार्यान्वयन ऐजेंसी के द्वारा (कार्यान्वयन ऐजेंसी का विवरण)
1							
2							
3							
कुल							

6. यदि गत 03 वित्त वर्षों, या उनके किसी भाग के औसत सकल लाभ के 2 प्रतिशत से कम सीएसआर व्यय किया गया है तो उसके कारण बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख किए जाएंगे।

7. सीएसआर समिति का उपयुक्त कथन कि सीएसआर नीति के कार्यान्वयन एवं निगरानी सीएसआर उद्देश्यों एवं कंपनी की नीति के अनुसरण में है।

एसडी **सीईओ/एमडी/निदेशक**	**एसडी** **अध्यक्ष –सीएसआर समिति**